कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID:- nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1109 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 30 सितम्बर, 2024

सेवा में,

उप महा निदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद बोगेश्वर में हवील–कुलवान मोटर मार्ग से ज्योणा स्टेट सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.910 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्वन के सम्बन्ध में।** (प्रस्ताव संख्याः– FP/UK/ROAD/12466/2015)

संदर्भः– आपका पत्र सं0–08बी./यू.सी.पी./06/101/2015/एफ0सी0/1066 दिनांक 22–09–2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, अलमोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 666/12–1(2) दिनांक 06–09–2024 से प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 701/12–1 दिनांक 13–08–2024 से सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन ऑख्या इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गई है–

क्र०सं०	सैद्धान्तिक सवीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 800 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशाधित) जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा 800 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि UTR No. SBINR52021073135369125 दिनांक 31–07–2021 द्वारा रू0 8,80,000.00 (आठ लाख अस्सी हजार) मात्र जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है। **(रांलग्नक–1)**
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.09 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) धनराशि UTR No. SBINR52021073135369125 दिनांक 31–07–2021 द्वारा रू0 5,97,870.00 (पांच लाख सत्तानवे हजार आठ सौ सत्तर) मात्र जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ीहुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में एन.पी.वी. की

		बढ़ी हुई दर के अनुसार धनरशि जमा करवा ली गई है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–2)**
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार की पत्र सं0 5–3/2007--एफ.सी. दिनांक 05.02.09 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान जेनरेट होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान जेनरेट होता है उसी के माध्यम से UTR No. SBINR52021073135369125 दिनांक 31–07–2021 द्वारा रु0 14,77,870.00 (चौदह लाख सतहत्तर हजार आठ सौ सत्तर) जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
5.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशग की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊं वृत्त अलमोड़ा एवं प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा प्रेषित उत्तरालेख की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करना चाहें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या /12–1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, अलमोड़ा।
2-- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, गागेश्वर।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 666 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 06/09/2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– बागेश्वर में हवील– कुलवान मोटर मार्ग से ज्योणा स्टेट संपर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.910 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0– 12466 / 2015।

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 101 / 2015 / एफ0सी0 / 1066 दिनांक 22.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 701 / 12–1 दिनांक 13.08.2024 द्वारा मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– यथोपरि। (तीन प्रतियाँ)

भवदीय

(डॉ0 कोको रोसे)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

देहरादून
सं0 1775
12-1
दिनांक 24.9.24

प्रभारी बागेश्वर
(आ0 का0 केर)

प्र0 व0 सं0 / नो0
[illegible]-24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 701 / 127-2 बागेश्वर दिनांक : 13/08/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद–बागेश्वर में हवील–कुलवान मोटर मार्ग से ज्योणा स्टेट संपर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.910 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/12466/2015)**

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/101/2015/ एफ0सी0/1066 दिनांक 22.09.2017।

महोदय,

भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा **जनपद–बागेश्वर में हवील–कुलवान मोटर मार्ग से ज्योणा स्टेट संपर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.910 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति **की अनुपालन** आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 800 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 800 वृक्षों के वृक्षारोपण की धनराशि UTR No-SBINR52021073135369125 dtd 31.07.2021 द्वारा रू0 08,80,000.00 (आख लाख अस्सी हजार रू0) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)। **(संलग्न–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की धनराशि धनराशि UTR No-SBINR52021073135369125 dtd 31.07.2021 द्वारा रू0 05,97,870.00 (पॉच लाख सत्तानबे हजार आठ सौ सत्तर) रू0 जमा की जा चुकी है **(संलग्न–01 के अनुसार)**।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि. जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में एन0पी0वी की बढ़ोत्तरी धनराशि भी जमा करवाली गयी है (चालान की प्रति संलग्न) **(संलग्न–2)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि धनराशि UTR No-SBINR52021073135369125 dtd 31.07.2021 द्वारा रू0 14,77,870.00 (चौहद लाख सतहत्तर आठ सौ सत्तर) रू0 जमा की जा चुकी है (**संलग्न–01 के अनुसार**)।

Nodal adikari

	कार्यालय को प्रेषित की जाए।	
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में **strip plantation** की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्न-3

संलग्न–चार प्रतियों में

भवदीय,

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Nodal adikari

सामान्य
02/8/2024

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 2082/ 25.व.भू   दिनांक 31 / 07 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः— **जनपद बागेश्वर में ह्वील–कुलवान मोटर मार्ग से ज्योणा स्टेट संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.910 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः— भारत सरकार के पत्रॉक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 101 / 2015 / एफ0सी0 / 1066 दिनांक 22.09.2017

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तो के अनुपालन आख्या

क्र0स0	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 800 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	800 वृक्षों के वृक्षारोपण की धनराशि UTR No-SBINR52021073135369125 dtd 31.07.2021 द्वारा रू0 8,80,000.00 जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा क़ी जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No-SBINR52021073135369125 dtd 31.07.2021 द्वारा रू0 5,97,870.00 जमा की जा चुकी है तथा (चालान की प्रति संलग्न)। तथा एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि UTR No-SBIN123322194123 dtd 18.11.2023 द्वारा रू0 3,16,871.00 जमा की जा चुकी है तथा (चालान की प्रति संलग्न)।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

प्राप्ति संख्या 541
दिनांक 02/8/2024
फाइल 12-1-2

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No-SBINR52021073135369125 dtd 31.07.2021 द्वारा रू0 8,80,000.00 द्वारा रू0 14,77,870.00 एवं अतिरिक्त एन0पी0वी0 की देय धनराशि UTR No-SBIN123322194123 dtd 18.11.2023 द्वारा रू0 3,16,871.00 जमा की जा चुकी है तथा (चालान की प्रति संलग्न)।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉं–जहॉं संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय,
31/07/24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FORESTS & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/101/2015/एफ0सी0 /1066

दिनांकः 22/09/2017

सेवा में,

सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद– बागेश्वर में हवील–कुलवान मोटर मार्ग से ज्योणा स्टेट संपर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.910 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या –145/ FP/UK/ROAD/12466/2015 दिनांक 12.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/12466/2015 एवम् अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करना है कि केन्द्र सरकार जनपद– बागेश्वर में हवील–कुलवान मोटर मार्ग से ज्योणा स्टेट संपर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.910 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 800 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

Copy to AE (I)
कार्यवाही हेतु।

P.O. attached

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नही की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नही की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1 वन भूमि की वैधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।

2 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

3 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायगा।

4 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमाकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।

5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरो एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

6 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

7 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव मे दर्शाये गये उद्‌देश्य के अलावा अन्य किसी उद्‌देश्य के लिए नही किया जायेगा।

8 कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 80 से अधिक न हो।

9 सडक निर्माण के पश्चात् जहा–जहा सभव हो सडक के दोनों किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।

10 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख मे किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

11 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

12 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के सरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का सतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1 अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।

2 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

3 आदेश पत्रावली।

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

संलग्न

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स नं0 05963–220209

पत्रांक 3005 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 20 / 06 / 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0 नि0 विभाग
बागेश्वर

विषय – जनपद बागेश्वर में छवील–कुलयाना मोटर निर्माण से जौणास्टेट सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.910 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 विभाग को प्रत्यावर्तन [12466/2015

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 1101 / 2ई0व0भू0 दिनांक 03.05.2018।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित जा रही है।

1. भारत सरकार का पत्रांक 08बी0 / यू0सी0पी0 /06 /101 /2015 / एफ0सी0 / 1066 दिनांक 22.09.2017।

2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक क–972 / 3–5–2 दिनॉक 21.11.2017 के द्वारा निंधारित दरो के कम में वर्ष 2018–19 के वसूली वर्ष हेतु किया गया है । अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	घनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	0.910है0	5	0.2	6,57,000.00	5,97,870.00
2	वृक्षारोपण	80वृक्षो का दस गुना 800 वृक्षों का वृक्षारोपण	"–"	"–"	1100.00	8,80,000.00

14,77,870.00

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

वन भूमि प्रभारी

P.C. Aswal

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

demand

Wheel Kulwan Jyana State M/R 1-11

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-07-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6112466960
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/101/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	1477870/-

Amount in Words :Fourteen Lakh Seventy-Seven Thousand Eight Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896112466960 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-07-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6112466960
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/101/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	1477870/-

Amount in Words :Fourteen Lakh Seventy-Seven Thousand Eight Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896112466960 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

SBINR52021073135369125

~~Dt. 29/06/2018~~

Dt. 31/07/2021

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar

P.C. Applied

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

1-(W)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक – 1743 /कैश, दिनांक 30/7/21

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
बागेश्वर।

विषय :– **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम आहरित धनराशि को उत्तरांचल कैम्पा में NEFT/RTGS करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम बैकर्स चैक सं0– 286497 दिनांक 29.07.2021 ₹ 1477870.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0– 150896112466960 IFSC Code- UBIN0903710 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :– बैकर्स चैक सं0–286497 दिनांक 29.07.2021 ₹ 1477870.00 मूल में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

पत्रांक :– 1743 /कैश, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि, वनभूमि सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
बागेश्वर

संलग्न-2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष/फैक्स नं0 : 05963 220249 फैक्स नं0 05963 220209

पत्रांक 1804/12-1-2   बागेश्वर, दिनांक : 05/6/2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0विभाग,
बागेश्वर।

विषय – जनपद बागेश्वर में हवील–कुलवान मोटर मार्ग से ज्योण स्टेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु **0.910 है0 वन भूमि में अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5–3/2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण **सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)**

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सराकर के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम मे उक्त प्रस्ताव में उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 22.09.2017 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पॉच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0 सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
								3,16,871.00
1	एन0पी0वी0	0.910 है0	5	0.2	1005210.00	09,14,741.00	5,97,870.00	3,16,871.00
	कुल योग					09,14,741.00	5,97,870.00	

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

P.C.A

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare.p.w.d BGR .docx"

2-(7)

Wheel Kulwar Jyana State Link Road.

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-11-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6112466776
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/101/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	316871/-

Amount in Words :Three Lakh Sixteen Thousand Eight Hundred and Seventy-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896112466776 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-11-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6112466776
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/101/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	316871/-

Amount in Words :Three Lakh Sixteen Thousand Eight Hundred and Seventy-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896112466776 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

O/C

17/11/23

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar

SBIN 123322194123

~~Dt. 23/9/2023~~

Dt. 18/11/2023

D.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

2-(11)

प्रपत्र– 43

परियोजना का नामः– **जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में ह्वील कुलवान मोटर मार्ग से ज्योणास्टेट लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।**

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

D.C. ...
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

संलग्न-3

प्रपत्र– 38

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में ह्वील कुलवान मोटर मार्ग से ज्योणास्टेट लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

पथ वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

––––प्राक्कलन संलग्न हैं––––

वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्र अधिकारी
बैजनाथ
बैजनाथ वन क्षेत्र (पुरड़ा,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

वन [illegible]
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।